



2026: AHC : 40051- DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 30013/2025

कमल सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: धर्मेन्द्र सिंह, पवन कुमार मिश्रा, राजेंद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) को सुना गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया कि वर्तमान मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपी प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के विरुद्ध 26.9.2025 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि वह इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

23 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।